संख्या-56/2016/2408/30-3-16-14बी/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 19 सितम्बर, 2016

विषय- उत्तर प्रदेश में संचालित ऑटो रिक्शा में जीपीएस/जीपीआरएस सिस्टमयुक्त फेयर मीटर एवं इमरजेन्सी बटन लगाने के लिये चयनित परामर्शी संस्था-डीम्ट्स को परामर्शी फीस के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1661एसटीए/2016, दिनॉक 23-08-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में संचालित ऑटो रिक्शा में जीपीएस/जीपीआरएस सिस्टमयुक्त फेयर मीटर एवं इमरजेन्सी बटन लगाने के लिये चयनित परामर्शी संस्था-डीम्ट्स को परामर्शी फीस के भुगतान हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आगणन के परीक्षणोपरान्त भुगतान हेतु अनुबन्धित शर्त दिनॉक 22-07-2016 के अनुसार 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन फीस के रूप में रू0 2,50,000/- तथा सर्विस टैक्स के रूप में धनराशि रू0 37,500/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,87,500/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-01-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये प्रावधानित धनराशि रू० 25,000 हजार (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु चयनित परामर्शी संस्था-डीम्ट्स से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त कार्य में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त उ0प्र0 का होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-01-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-56/2016/2408(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित परामर्शी संस्था- डीम्ट्स, प्रथम तल, महाराणा प्रताप, आईएस बीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।